प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.04.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 22.04.2025 को वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त मोसीन मलिक द्वारा वादिया के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में धारा - 69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.04.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त मोसीन पुत्र फारूख निवासी ग्राम खेखड़ा नई वस्ती नाई के मन्दिर के सामने थाना खेखड़ा जिला बागपत उम्र करीब 32 वर्ष को 80 फुटा रोड शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मोसीन पुत्र फारूख उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मोसीन पुत्र फारूख उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि वादिया अभियुक्त मोसीन पुत्र फारूख उपरोक्त की दुकान(मोबाइल फोन व एसी) पर काम करती थी। अभियुक्त उपरोक्त ने वादिया को शादी करने का झांसा देकर वादिया से प्रेम सम्बन्ध बनाए लेकिन अभियुक्त उपरोक्त पहले से ही शादीशुदा था। जिसके तीन बच्चे थे। जिसको लेकर अभियुक्त उपरोक्त वादिया को दूसरे अलग मकान में रख रहा था, वादिया अभियुक्त उपरोक्त से शादी करने का दबाब बना रही थी तो अभियुक्त उपरोक्त ने शादी करने से मना कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोसीन पुत्र फारूख वर्तमान पता ईडब्लूएस कॉलोनी लोहिया पार्क के सामने शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूलपता ग्राम खेखड़ा नई वस्ती नाई के मन्दिर के सामने थाना खेखड़ा जिला बागपत उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- अभियुक्त मोसीन पुत्र फारूख उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अवैध तमन्चा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 24.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त फईम पुत्र नईम निवासी खुशहाल पार्क अल्फलाह मस्जिद के पास थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को शुक्र बाजार रोड, डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01

जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 03/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह तमंचा मैं लोगो पर रोब जमाने व उन्हें डराने-धमकाने के लिये अपना पास रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फईम पुत्र नईम निवासी खुशहाल पार्क अल्फलाह मस्जिद के पास थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर पुलिस मुठभेड, आयुध अधिनियम व चोरी के 03 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग व थाना अंकुर विहार पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-06) । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी प्रबल प्रताप सिंह द्वारा लिखित सूचना दी गयी जिसमे आरोपित किया गया कि प्रतिवादी पंकज कुमार सिंह के द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर कूटरचित व फर्जी एग्रीमेण्ट तैयार कर पानी की टंकी का कान्ट्रेक्ट दिलाने के नाम पर वादी से बारह लाख इक्कीस हजार रुपये (12,21,000/- रु0) हडप लेना व पैसे वापस मांगने पर वादी के साथ गाली गलौच करना। उक्त लिखित सूचना के आधार पर घटना पुरानी होने के कारण थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 420/467/468/471/406/504 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को तोशाली सैंड रिसोर्ट थाना मरीन बीच जिला पुरी उडीसा से गिरफ्तार किया गया। जिसका जिला पुरी कोर्ट से ट्रान्जिट रिमान्ड स्वीकृत कराकर आज दिनांक 24.04.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मेरी वादी प्रबल प्रताप सिंह से दोस्ती थी तथा हम लोगो ने मिलकर पहले कई तरह के बिजनेस भी किये हैं। पानी की टंकियो का कान्ट्रेक्ट दिलाने के नाम पर मैंने वादी से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 12,21,000/- रुपये ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

पंकज कुमार सिंह पुत्र रामकिशोर सिंह निवासी ग्राम बीबी गंज थाना गजराज गंज जिला भोजपुर बिहार हाल पता हनुमान मंदिर के सामने निकट सोहराय भवन मौहल्ला साकेत विहार थाना अरगोडा जिला रांची झारखण्ड, उम्र करीब 41 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धोखाधडी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त टैम्पो बरामद।

दिनांक 23.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी वकील अन्सारी पुत्र यासीन अन्सारी निवासी प्रेम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि ऑटो के चालक व पीछे बैठे 02 व्यक्तियों द्वारा वादी से मोबाइल फोन छीनकर ले जाना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 304(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1.साहिद पुत्र मुजम्मिल निवासी 30 फुटा रोड हसीना मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष 2. सुहैल खान पुत्र फुरकान निवासी हाजी कॉलोनी तौहीद मस्जिद के पास लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 3- साहिद रंगरेज पुत्र भूरा निवासी चार मीनार मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को सपना चौराहा चौकी क्षेत्र मण्डौला से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छिनैती का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त टैम्पो बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम लोग मिलकर छिनैती की घटना कारित करते हैं। हम तीनों टैम्पो से अकेली सवारी को देखकर मौका पाकर उनसे पैसा व सामान छीन लेते हैं। दिनांक 22.04.2025 को हम तीनों ने लोनी तिराहे से एक लड़के को टैम्पो में सवारी के रूप में बैठाकर सुनसान जगह पर ऑटो रोककर उसका मोबाइल छीन कर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.साहिद पुत्र मुजम्मिल निवासी 30 फुटा रोड हसीना मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

2. सुहैल खान पुत्र फुरकान निवासी हाजी कॉलोनी तौहीद मस्जिद के पास लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

3. साहिद रंगरेज पुत्र भूरा निवासी चार मीनार मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से छिनैती का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त टैम्पो बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है। तथा अभियुक्त साहिद पुत्र मुजम्मिल के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर लूट व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम